शिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0ए0एस0)

अपील संख्या :–123/2006 अन्तर्गत धारा 223 आर0टी0एक्ट0

उनवान :– 1. राजस्थान राज्य, जर्ये जिला कलेक्टर, अलवर (राज0)

2. तहसीलदार, बहरोड (भूमिधारी), तहसील बहरोड जिला अलवर(राज0)

–––प्रति0/अपीलान्टान

बनाम्

1. बद्री प्रसाद पुत्र रामस्वरूप अहीर नि0 काठूवास
2. ईश्वर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप अहीर नि0 काठूवास
3. श्रीमती हरप्यारी बेवा रामस्वरूप अहीर नि0 काठूवास तहसील बहरोड जिला अलवर राज0

–––असल वादीगण/रेस्पाडेन्टान

4. श्रीचन्द पुत्र रामकुंवार अहीर नि0 काठूवास
5. बाबूलाल पुत्र रामकुंवार अहीर नि0 काठूवास
6. सहीराम पुत्र रामकुंवार अहीर नि0 काठूवास तह0 बहरोड जिला अलवर राजस्थान

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड़ दिनांक–05.09.2005

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0 :– श्री अनिल गुप्ता

निर्णय **दिनांक–** 01.03.2021

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर बहरोड द्वारा राजस्व वाद सं0 120/99 में पारित निर्णय दिनांक 05.09.2005 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद डिक्री किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र इस आशय प्रस्तुत किया कि वादीगण आराजी ख0 नं0 59/809 रकबा 01 एयर वाके ग्राम काठूवास के खातेदार है। यह खसरा नम्बर गैर मुमकिन चाह है। वादीगण के खेत नम्बर 44 रकबा 1.49 एयर का हाल बन्दोबस्त में रकबा 7 एयर कम अंकित कर दिया एवं प्रतिवादीगण के खेत नम्बर 59 रकबा 1.50 में मिला दिया। अतः वादीगण के खेत ख0 नं0 44 का रकबा पूरा किया जावे। तथा इस्तकरारहक इस अमर की जारी की जावे कि ख0 नं0 59/809 रकबा 01 एयर बन्दोबस्त हाल में सिवायचक दर्ज कर दिया गया है व उसके क्षेत्र में मिलान के कॉलम में जहां साबिक खसरा नम्बर लिखा जाता है, उसमे साबिक ख0 नं0 136 गलत अंकित कर दिया गया है, उसे दुरूस्त किया जावे। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है। जिसकी राज्य सरकार ने यह अपील पेश की है।

3. राज्य सरकार (अपीलांट) की ओर से बहस करते हुए विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि तहसीलदार का पद रिक्त होने एवं अपील पेश करने की स्वीकृति लेने में समय लगा। इसलिये देरी हुई है। अतः देरी को माफ किया जावे। उन्होंने आगे तर्क दिये कि गैर मुमकिन चाह सिवायचक को कीमतन आवंटन किया जाता है। अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है। तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4. वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है। विवादित आराजी गैर मुमकिन चाह हमारी खातेदारी का नम्बर है, जिसे गलत तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया। इसमें राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। माननीय बी0ओ0आर0 ने मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाकर प्रकरण का निस्तारण

गुणावगुण किये जाने के सिद्धान्त अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है। अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाकर देरी को माफ किया जाता है।

6. तहत अदालत की पत्रावली में तामीलशुदा सम्मन संलग्न नहीं है। जिसके अभाव में सिद्ध है कि प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई है। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रतिवादी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया जावे। अतः अपीलांट की सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु हम प्रकरण को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील आंशिक स्वीकार तहत अदालत के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 05.09.2005 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो उभयपक्ष को सुनवाई एंव साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत अदालत में दिनांक .....05.04.2021..... को पेश हो।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(अशोक कुमार सांखला)

भू-प्रबंध अधिकारी एव पदेन
राजस्व अपील अधिकारी अलवर